FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)

मांगीलाल बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मु.न. 827/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.12.2025	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री भुवनेश कुमारर मीना द्वारा वास्ते इन्द्राज दुरूस्ती प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को सम्मन जरिये स्पीड पोस्ट डाक वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। तहसीलदार मण्डावर को प्रकरण के संदर्भ में मौका व राजस्व रिकॉर्ड अनुसार बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार एव तलबी दिनांक 15.01.2026 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	Notice Received [signature] 6/1/26
15.01.26	पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24-2-26 को पेश हो। [signature]	
24.2.26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 01 की तामील हो चुकी है। तामील उपरान्त अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थी सं. 01 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। तहसीलदार मण्डावर से बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त। वकील प्रार्थी ने प्रा.पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया। प्रा.पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस का मनन किया। प्रा.पत्र का, तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट का एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
827/2025	22.12.2025	24.02.2026

बउनवान

मांगीलाल पुत्र सोन्याराम, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थी/सायल

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर, दौसा।

..अप्रार्थी/गैरसायल

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री भुवनेश कुमार मीना।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आराजीयात खसरा सं. 113, 114, 116, 245, कुल किता 4 कुल रकबा 0.99 हैक्टे. ग्राम नांगल सुमेरसिंह तहसील मण्डावर में स्थित है जो प्रार्थी व अन्य खातेदारान की सहखातेदारी की आराजी है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा दर्ज है। विवादित आराजीयात 104, 121, 122, 123, 124, 244, 251, 252, 253, 257, 261, 262, 263, 264, कुल किता 14, कुल रकबा 7.48 हैक्टे. ग्राम नांगल सुमेरसिंह तहसील मण्डावर में स्थित है जो प्रार्थी व अन्य खातेदारान की सहखातेदारी की आराजी है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा दर्ज है। आराजी खसरा सं. 256 रकबा 0.03 हैक्टे. ग्राम नांगल सुमेरसिंह तहसील मण्डावर में स्थित है जो प्रार्थी व अन्य खातेदारान की सहखातेदारी की आराजी है जिसमें प्रार्थी का का 1/3 हिस्सा दर्ज है। उक्त आराजीयात प्रार्थी के पिता सोन्या राम पुत्र बल्लू की खातेदारी की आराजी रही है। उनके हिस्से की आराजी से अन्य किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है। प्रार्थी को उक्त आराजी विरासत में प्राप्त हुई है। प्रार्थी का सही नाम मांगीलाल पुत्र सोन्याराम, जाति मीना, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, जिला दौसा है किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का नाम विवादित आराजी की खातेदारी में गलत दर्ज कर दिया है। राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से अन्य खातेदारों से मिलकर जमाबंदी में मांगीलाल पुत्र सोन्याराम के बजाय मांगया पुत्र सोन्या दर्ज कर दिया गया जबकि भू प्रबन्ध विभाग या राजस्व कर्मचारियों को इस प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। भू प्रबन्ध विभाग/राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का नाम ही बदल दिया गया किन्तु राजस्व कर्मचारियों व भू प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रार्थी का नाम मांग्या पुत्र सोन्या दर्ज कर दिया है जिससे प्रार्थी के अधिकारों का हनन हो रहा है। राजस्व कर्मचारियों व भू प्रबन्ध विभाग को इस प्रकार की गलती करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त गलती के बने रहने से प्रार्थी को भारी नुकसान हो रहा है तथा प्रार्थी के अधिकारों का हनन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

हो रहा है। इसलिये प्रार्थी की खातेदारी की उक्त आराजीयात में प्रार्थी का नाम नाम मांग्या पुत्र सोन्या के स्थान पर मांगीलाल पुत्र सोन्या राम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त दुरूस्ती किये जाने से किसी भी सहखातेदार अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की क्षति होने की संभावना भी नहीं है। उक्त गलत प्रविष्ठि की पूर्व में जानकारी नहीं थी लेकिन प्रार्थी द्वारा नकल लेने पर इसकी जानकारी हुई। राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त करने पर उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अन्य सहखातेदारों के विरूद्ध प्रार्थी कोई अनुतोष नहीं चाहता है और ना ही अन्य सहखातेदारों के हित प्रभावित हो रहे है। इसलिये अन्य सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त विवादित आराजीयात मे दर्ज मांग्या पुत्र सोन्या को हजफ फरमाया जाकर उसके स्थान पर मांगीलाल पुत्र सोन्याराम, जाति मीना, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, जिला दौसा दर्ज करने के आदेश करे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाब नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मण्डावर के द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2026/204 दिनांक 30.01.2026 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि ग्राम नांगल सुमेरसिंह के खसरा नं. 113, 114, 116, 245, 104, 121, 122, 123, 124, 244, 251, 252, 253, 257, 261, 262, 263 ,264, 256 में प्रार्थी का नाम मांग्या पुत्र सोन्या सहखातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। भूमि एकीकरण की जमाबंदी संवत 2020 के खाता सं. 39 पर प्रार्थीगण का नाम मांग्या पुत्र सोन्या दर्ज रिकॉर्ड है। भूमि सैटलमेंट खतौनी 2050 के खाता सं. 32 पर प्रार्थी का नाम मांग्या पुत्र सोन्या दर्ज रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड में जमाबंदी संवत 2020 के खाता सं. 39 एवं भूमि सैटलमेंट खतौनी 2050 के खाता सं. 32 पर प्रार्थी का नाम मांग्या पुत्र सोन्या दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का द्वारा की गयी जॉच अनुसार, मॉग्या पुत्र सोन्या एवं मांगीलाल पुत्र सोन्याराम एक ही व्यक्ति है एवं प्रार्थी का सही नाम मांगीलाल पुत्र सोन्याराम है।

3. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गयी। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस अभिभाषक प्रार्थी पर मनन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 में प्रावधान है कि :

136. गलतियों का शुद्धिकरण– भू–अभिलेख अधिकारी को किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार– अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस देख लें।

परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जावेगी जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दे दिया गया हो।)

4. विवादित आराजीयात खाता सं. 100 के खसरा सं. 113, 114, 116, 245, खाता सं. 102 के खसरा सं. 104, 121, 122, 123, 124, 244, 251, 252, 253, 257, 261, 262, 263,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

264, खाता सं. 209 के खसरा सं. 256 की जमाबंदी संवत 2074–2077 में प्रार्थी का नाम मांग्या पुत्र सोन्या दर्ज रिकार्ड है। स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम पूर्व से ही मांग्या पुत्र सोन्या दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी उक्त प्रविष्ठी मांग्या पुत्र सोन्या को दुरूस्त करवाके मांगीलाल पुत्र सोन्याराम करवाना चाहता है। तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट एवं विवादित आराजीयात की जमाबंदी संवत 2074–2077, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, बिजली के बिल, प्रशासक ग्राम पंचायत जटवाडा के पत्र से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात में प्रार्थी का हिस्सा मुताबिक प्रार्थना पत्र अंकित है किन्तु प्रार्थी के नाम की जमाबंदी में गलत प्रविष्टि मांग्या पुत्र सोन्या दर्ज है जिसको दुरूस्त किया जाकर मांगीलाल पुत्र सोन्याराम किया जाना उचित है।

आदेश

5. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम नांगलसुमेरसिंह, पटवार हल्का जटवाडा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खाता सं. 100 के खसरा सं. 113, 114, 116, 245, कुल रकबा 0.99 हैक्टे., खाता सं. 102 के खसरा सं. 104, 121, 122, 123, 124, 244, 251, 252, 253, 257, 261, 262, 263 ,264, कुल रकबा 7.48 हैक्टे. एवं खाता सं. 209 के खसरा सं. 256 रकबा 0.03 हैक्टे. की जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि मांग्या पुत्र सोन्या को दुरूस्त किया जाकर मांगीलाल पुत्र सोन्याराम किये जाने का आदेश तहसीलदार मण्डावर को दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

6. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 24.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)
सत्यमेव जयते